न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/250/2025 वाद   दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. रतन पिता दयाराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।	1. नानालाल पिता हरिराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 2. धीरुलाल पिता हरिराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 3. दाखी पिता हरिराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 4. नोजी पिता हरिराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 5. लेहरू पिता दयाराम जाति रेगर आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। 6. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–वादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री शंकर लाल जाट

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 29.10.2025

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 322, 323, 324, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 357, 360, 361, 362, 363, 559, 560, 563 कुल किता 20 कुल रकबा 6.17 हैक्ट0 स्थित है। यह कि उपरोक्त आराजीयात राजस्व जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 1 से 5 तक के नाम पर संयुक्त दर्ज है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण नं0 1 से 4 तक का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 5 का 1/4 हिस्सा है जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। व निवेदन किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण विभाजन की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम नं0 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन कराया जाकर कब्जे अनुसार अलग खाता बन्दी अलग लगान बन्दी से दर्ज कराया जावें। वादी का 1/4 हिस्सा वादी के नाम तन्हा अलग खाता बन्दी अलग लगान बन्दी से दर्ज कराया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक ने सहमति से जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 ने भी मौके व कब्जे अनुसार बटवाडा हेतु सहमति जाहिर की।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.04.2017 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 29.10.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 322, 323, 324, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 357, 360, 361, 362, 363, 559, 560, 563 कुल किता 20 कुल रकबा 6.17 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

1. रतन पिता दयाराम रेगर सा0 देह खातेदार रहन SBI कपासन

क.स.	आ0स0	रकवा (है0)	किस्म
1	335	0.10	बारानी 3
2	336	0.28	चाही 1
3	360	0.18	चाही 1
4	560/1	0.31	बी 1
5	331/1	0.07	बी 1
6	324/1	0.08	बारानी 3
7	323/1	0.18	पडत 1
8	323/3	0.23	पडत 1
9	357/1	0.07	चाही 1
योग	कुल किता 09	1.50	

2. घीसुलाल, दाखी, नानालाल, नोजी पिता हरीराम हिस्सा 617/926, लेहरू पिता दयाराम रेगर हिस्सा 309/926 सा0 देह खातेदार रहन BRKGB कपासन (घीसुलाल), व SBI कपासन (लेहरू)

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	322	0.80	पडत 1
2	323/2	0.43	पडत 1
3	323/4	0.16	पडत 1
4	324/2	0.42	बारानी 3
5	332	0.64	बी 1
6	334	0.21	बारानी 3
7	337	0.29	चाही 1
8	338	0.19	चाही 1
9	339	0.17	चाही 1
10	342	0.12	चाही 1
11	357/2	0.07	चाही 1
12	361	0.16	चाही 1
13	362	0.17	चाही 1
14	363	0.18	चाही 1
15	559	0.25	बी 1
16	560/2	0.19	बी 1
17	331/2	0.06	बी 1
योग	कुल किता–17	4.51	

3. घीसुलाल, दाखी, नानालाल, नोजी पुत्र हरीराम रेगर हिस्सा 1/2, रतन पिता दयाराम रेगर हिस्सा 1/4, लेहरू पुत्र दयाराम रेगर हिस्सा 1/4

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	563	0.16	बारानी 1
योग	कुल किता–01	0.16	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज़ दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक), कपासन